# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

## // आदेश //

क्रमांक B/3746 / जबलपुर, दिनांक 01/06/2023

श्री बालकिशन पाल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड पे रू. 1900/–(7 वे वेतनमान में लेवल 4 पे मेट्रीक्स 19500–62000) में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नांकित शर्तो पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर की स्थापना पर नियमित वाहन चालक के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
3. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें उसकी सूचना रजिस्ट्री को एक माह पूर्व देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
4. यह कि, उनकी सेवायें पूर्णतः अस्थाई हैं तथा वे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।
5. यह कि, उनकी नियुक्ति इस उपबंध के साथ की जाती है कि वे किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता एवं नेत्र परिक्षण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्यता प्रमाण–पत्र का व्यय उन्हें स्वयं उठाना होगा।
6. यह कि, जब भी उन्हें माननीय न्यायधिपतिगण, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय या उनके निवास स्थान पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने अथवा उनके साथ मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने के निर्देश होंगे उनको तत्परता से पालन करना होगा।
7. यह कि, किसी भी अवकाश या सार्वजनिक अवकाश पर माननीय न्यायाधिपतिगण, रजिस्ट्रार जनरल अथवा अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देशों का तत्काल पालन करेंगें।

............2

8. यह कि, उनके प्रभार में सौंपी गयी स्टाफ कार अथवा उच्च न्यायालय के अन्य वाहन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित, साफ–सुथरी या सुरक्षित रखने एवं समय–समय पर वाहन की सर्विसिंग कराने तथा आवश्यकता अनुसार डिस्टिल्ड वाटर बदलने आदि की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
9. यह कि, नियमानुसार कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व वाहन चालक का लायसेंस प्रस्तुत करें एवं अपने कर्तव्य के समय लायसेंस अपने पास रखें।
10. यह कि उन्हें घोषण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने कर्तव्य के समय किसी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगें।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

(प्रमोद कुमार अग्रवाल)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार(सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक B/3747 / जबलपुर, दिनांक 01/06/2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन सिटी सेन्टर ग्वालियर(म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/कम–पीपीएस., उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(स्था.), उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री बालकिशन पाल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार प्रशासन